



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2009/श्रावण 12, 1931

No. 135]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2009/SRAVANA 12, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2009

सं. भा.आ.प. 34(1)/2009—मेडि./25453.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमावली बनाती है, नामतः :

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभण और अनुप्रयोज्यता

- (i) इन विनियमों को 'भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कालेजों/संस्थानों में रेगिंग की रोकथाम और निषेध) विनियमावली, 2009' कहा जाए ।
- (ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. उद्देश्य:

रेगिंग का कानून द्वारा निषेध करके, इन विनियमों के उपबंधों का पालन करके, इसके घटने की रोकथाम करके और रेगिंग में लिप्त व्यक्तियों को इन विनियमों में दिए गए उपबंधों और प्रवृत्त उपयुक्त कानून के अनुसार दंड देकर देश में मेडिकल कालेजों/संस्थानों से हर प्रकार के रेगिंग को उखाड़ फेंकना ।

3. परिभाषाएं : इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए:

3.1 'मेडिकल कालेज' का अर्थ है — कोई ऐसा संस्थान, चाहे वह संस्थान के नाम से जाना जाता हो या किसी अन्य नाम से, जो 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा के पश्चात् किसी विश्वविद्यालय से मान्यताप्राप्त एम बी बी एस शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के लिए कोई कार्यक्रम उपलब्ध कराता है और जो ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार अध्ययन के ऐसे कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए सक्षम संस्थान के रूप में मान्यताप्राप्त है और जो मान्यताप्राप्त एम बी बी एस/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा शैक्षिक योग्यताएं प्रदान करने के लिए अध्ययन के ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करता है ।

3.2 'संस्थान प्रमुख' का अर्थ है — संबंधित मेडिकल कालेज/संस्थान का डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक ।

3.3 'रेगिंग' में निम्नलिखित शामिल हैं:

कोई ऐसा आचरण, चाहे वह कहे गए शब्दों द्वारा हो या लिखित शब्दों द्वारा या किसी कार्य द्वारा हो, जिसका उत्पीड़न, चिढ़ाने वाला, किसी अन्य छात्र के साथ अभद्र व्यवहार करने या हैंडलिंग का प्रभाव

हो, हुल्लड़बाजी या अनुशासनहीनता के ऐसे क्रियाकलापों में लिप्त होना, जो क्रोध, कष्ट या मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बने या बनने की संभावना हो या किसी नए या कनिष्ठ छात्र में डर या डर की आशंका उत्पन्न करना या छात्रों को कोई ऐसा कार्य या अभिनय करने के लिए कहना जो सामान्यतः वह छात्र नहीं कर सकता और जिसमें शर्म या परेशानी की भावना उत्पन्न करने या का कारण बनने का प्रभाव हो जिससे किसी नए या किसी कनिष्ठ छात्र के शरीर या मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो !

3.4 भा.आ.प. का अर्थ है - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अनुसार गठित की गई भा.आ.प. ।

3.5 विश्वविद्यालय का अर्थ है - किसी केंद्रीय अधिनियम किसी प्रांतीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किया गया या अधिनियमित कोई विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के रूप में मानित संस्थान या डिग्रियां प्रदान करने या देने के लिए संसद के किसी अधिनियम द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त कोई संस्थान ।

4. रेगिंग के दंडनीय संघटक:

- रेगिंग के लिए उकसाना ;
- रेगिंग करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र ;
- रेगिंग के समय गैर-कानूनी सभा और बलवा ;
- रेगिंग के दौरान उत्पन्न किया गया लोक-कंटक ;
- रेगिंग के जरिए शिष्टता और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन ;
- शारीरिक चोट जिसके कारण क्षति या गंभीर क्षति पहुंचे ;
- अन्यायपूर्ण निरोध ;
- अन्यायपूर्ण परिरोध ;
- आपराधिक बल का प्रयोग ;
- आक्रमण और यौन अपराध या यहां तक कि अनैसर्गिक अपराध ;
- खसोट ;
- आपराधिक अतिक्रमण ;
- संपत्ति के प्रति अपराध ;
- आपराधिक अभित्रास ;
- पीड़ित (पीड़ितों) के प्रति ऊपर उल्लिखित कोई या सभी अपराध करने के प्रयास ;
- शारीरिक या मनोवैज्ञानिक अपमान ;
- 'रेगिंग' शब्द की परिभाषा के अनुसार अन्य सभी अपराध ।

5. रेगिंग के निषेध हेतु उपाय :

5.1 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय रेगिंग को, बलात्कार और महिलाओं के प्रति अन्य अत्याचार तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार के समान, कानून के अंतर्गत संज्ञेय अपराध मानते हुए और सभी संस्थानों में रेगिंग का हर रूप में निषेध करते हुए, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिनियम, यदि कोई है या यदि अधिनियमित किया गया है और/या तत्समय प्रवृत्त, के उपबंधों का सख्ती से पालन करेगा ।

5.2 इसके विभागों, घटक इकाइयों, इसके सभी परिसरों, (अकादमिक, आवासीय, खेलकूद, कैटीन आदि) सहित चाहे वे कैम्पस के अंदर स्थित हों या बाहर, पूरे मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में

और छात्रों के परिवहन के सभी साधनों, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट, में हर प्रकार के रेगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाएगा ।

5.3 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, रेगिंग करने और/या रेगिंग के लिए उकसाने के दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा ।

6. रेगिंग की रोकथाम के लिए संस्थान के स्तर पर किए जाने वाले उपाय:

6.1 दाखिले से पहले:

6.1.1 दाखिलों के लिए दिए गए विज्ञापन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाएगा कि मेडिकल कालेज/संस्थान में रेगिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध/निषेध है और रेगिंग करने और/या रेगिंग के लिए उकसाने का दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति को समुचित ढंग से दंड दिया जा सकेगा ।

6.1.2 अभ्यर्थियों के दाखिला ब्रॉचर/निर्देश पुस्तिका में ये विनियम पूरी तरह (अनुबंध सहित) बड़े अक्षरों में छापे जाएंगे ।

6.1.3 'विवरणिका' और दाखिला संबंधी अन्य दस्तावेजों में, माननीय उच्चतम न्यायालय और/या केंद्रीय या राज्य सरकारों के लागू होने वाले सभी निर्देश शामिल किए जाएंगे ताकि अभ्यर्थी और उनके माता-पिता/अभिभावकों को रेगिंग के निषेध और परिणामों के संबंध में संवेदनशील बनाया जा सके ।

6.1.4 रेगिंग में लिप्त न होने या इसके लिए न उकसाने का वचनपत्र प्राप्त करने हेतु प्रत्येक अकादमिक सत्र के प्रारंभ में प्रत्येक छात्र को एक ब्रॉचर या बुकलेट/लीफलेट वितरित किया जाएगा और इसमें रोकथाम तथा शिकायतों के निवारण की पद्धति की रूपरेखा होगी ।

दाखिले/पंजीयन के आवेदन फार्म में, वरियत: अंग्रेजी/हिंदी दोनों भाषाओं और संस्थान तथा आवेदक को ज्ञात किसी एक क्षेत्रीय भाषा (अंग्रेजी रूपांतर अनुबंध-1, भाग-1 में दिया गया है) में अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने और हस्ताक्षर किए जाने वाला इस संबंध में छपा हुआ घोषणापत्र होगा कि वह रेगिंग के निषेध और दंड से संबंधित कानून से परिचित है और कि उसे किसी संस्थान द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है और/या दाखिले से विवर्जित नहीं किया गया है और कि यदि उसे रेगिंग करने और/या रेगिंग के लिए उकसाने के अपराध का/की दोषी पाया/पाई जाए तो उसे समुचित दंड दिया जा सकेगा ।

6.1.5 आवेदन फार्म में, आवेदक के माता-पिता/अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किया जाने वाला, वरियत: अंग्रेजी/हिंदी दोनों भाषाओं में और संस्थान तथा माता-पिता/अभिभावक को ज्ञात एक क्षेत्रीय भाषा में इस संबंध में छपा हुआ एक घोषणापत्र (अंग्रेजी रूपांतर अनुबंध-1, भाग-1 में दिया गया है) होगा कि वह इस संबंध में कानून से परिचित है और अपने आश्रित द्वारा रेगिंग करने और/या रेगिंग करने के लिए उकसाने का दोषी पाए जाने की स्थिति में उसे दिए जाने वाले दंड का पालन करने के लिए सहमत है ।

प्रत्येक छात्र और उसके माता-पिता/अभिभावकों द्वारा दिए गए शपथपत्रों से एक आंकड़ा आधार सृजित किया जाएगा, उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाएगा और इसमें प्रत्येक छात्र के ब्यौरे होंगे । ये आंकड़ा आधार, प्राप्त हुई रेगिंग की शिकायतों के रिकार्ड में भी काम आएगा ।

- 6.1.6 दाखिले के आवेदनपत्र के साथ स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र/अंतरण प्रमाणपत्र/चरित्र प्रमाणपत्र के रूप में एक दस्तावेज होगा जिसमें आवेदक के आचरण पैटर्न पर एक रिपोर्ट शामिल होगी ताकि इसके पश्चात् संस्थान उस छात्र पर निकटता से नजर रख सके जिसकी इस संबंध में नकारात्मक प्रविष्टि है ।
- 6.1.7 छात्रावास में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र को, छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के अपने आवेदनपत्र के साथ अनुबंध-। (दोनों भागों) के फार्म पर एक अतिरिक्त घोषणापत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- 6.1.8 अकादमिक सत्र प्रारंभ होने पर संस्थान प्रमुख संस्थान में रेगिंग की रोकथाम करने के उपायों और अपराधियों की पहचान करने और उन्हें उचित दंड देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करने हेतु विभिन्न पदाधिकारियों/एजेंसियों जैसे वार्डनों, छात्रों के प्रतिनिधियों, माता-पिता/अभिभावकों, संकाय सदस्यों, पुलिस सहित जिला प्रशासन की एक बैठक आयोजित करेगा और उसे संबोधित करेगा ।
- 6.1.9 पूरे समाज और विशेष रूप से छात्रों को रेगिंग के अमानवीय प्रभाव और रेगिंग में लिप्त व्यक्तियों के प्रति संस्थान के दृष्टिकोण से परिचित कराने के लिए सभी विभागों, छात्रावासों और अन्य भवनों के सभी नोटिस बोर्डों तथा असुरक्षित स्थानों पर, बड़े पोस्टर (वरियतः कानून के उपबंधों, दंडों आदि हेतु विभिन्न रंगों में बहुरंगी) सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे । इन पोस्टरों में से कुछ पोस्टर, कुछ असुरक्षित स्थानों पर स्थायी स्वरूप के होंगे ।
- 6.1.10 ऊपर खण्ड 6.1.9 में उल्लिखित महत्वपूर्ण स्थानों पर पोस्टर लगाने के अलावा, मेडिकल कालेज/संस्थान, दृश्य-श्रव्य उपकरणों के माध्यम से छात्रों के बीच परामर्श सत्रों, कार्यशालाओं, पेंटिंग और डिजाइन प्रतियोगिताओं और अन्य तरीकों, जो भी उचित समझे जाए, द्वारा रेगिंग के प्रति व्यापक प्रचार के उपाय करेगा ।
- 6.1.11 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय मीडिया से अनुरोध करेगा कि वह रेगिंग का निषेध करने वाले कानून और रेगिंग के नकारात्मक पहलुओं और रेगिंग पर प्रतिबंध लगाने के संस्थान के संकल्प तथा दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को दंड देने का निष्पक्षता और निडरता के साथ पर्याप्त प्रचार करे ।
- 6.1.12 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय सभी असुरक्षित स्थानों की पहचान करेगा, वहां उचित ढंग से प्रकाश व्यवस्था करेगा और वहां व्यक्ति तैनात करेगा ।
- 6.1.13 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय अपने परिसर में, विशेष रूप से असुरक्षित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा । यदि आवश्यक हो तो अकादमिक सत्र के प्रारंभिक महीनों के दौरान अतिरिक्त समय में ऐसे स्थानों पर सधन पुलिस व्यवस्था का सहारा लिया जाएगा ।
- 6.1.14 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, नया अकादमिक वर्ष प्रारंभ होने से पहले, छुट्टियों की अवधि का उपयोग, पोस्टरों, पत्रों, संगोष्ठियों नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से रेगिंग के प्रति विस्तृत प्रचार अभियान आरंभ करने के लिए करेगा ।

6.1.15 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के संकायों/विभागों/इकाइयों के पास, प्रवेश प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्यों के एक स्पष्ट बोध के साथ अकादमिक वर्ष प्रारंभ होने से काफी पहले ही प्रवेश व्यवस्थाएं (उन व्यवस्थाओं सहित जो छात्रों के किसी विशिष्ट वर्ग की विशेष आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रत्याशित हों, पता लगाई गई हों और योजना बनाई गई हो) मौजूद होगी। प्रधानाचार्य या संस्थान/विभाग प्रमुख, संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी, जिनमें स्टाफ के अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ के सदस्य, परिसर में नियोजित किए गए ठेका श्रमिक, चाहे वे कैंटीन चलाने के लिए हो या निगरानी स्टाफ के रूप में या भवन/लॉन की सफाई या रखरखाव के लिए हों, शामिल हैं, से इस संबंध में एक वचनपत्र प्राप्त करेगा कि वह, उसकी जानकारी में आने वाले किसी भी मामले की तुरंत रिपोर्ट देगा/देगी। सेवा नियमों में रेगिंग की रिपोर्ट देने वाले स्टाफ के सदस्य को प्रशंसा पत्र जारी करने का प्रावधान किया जाएगा। यह प्रशंसा पत्र उसके सेवा रिकार्ड का एक भाग बनेगा।

6.2 दाखिला हो जाने पर

6.2.1 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में दाखिल किए गए प्रत्येक नए छात्र को छपा हुआ एक पर्चा दिया जाएगा जिसमें इस बात का विस्तृत विवरण होगा कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए सहायता और मार्गदर्शन हेतु कब और किसके पास (वार्डनों, संस्थान प्रमुख, रेगिंग प्रतिरोधी समितियों के सदस्यों, संबंधित जिला और पुलिस प्राधिकारियों सहित) जाना है, ऐसे व्यक्तियों/प्राधिकारियों आदि के पते और टेलीफोन नंबर होंगे ताकि नए छात्र को ऐसे मामलों में सहायता के लिए वरिष्ठ छात्रों का सहारा लेने और उनका आभारी होने तथा उनके आदेश पर सही या गलत काम करने की आवश्यकता न पड़े। इस प्रकार के कदम से नए छात्रों की अपने वरिष्ठ छात्रों पर निर्भरता में कमी आएगी।

प्रत्येक संस्थान को चाहिए कि वह नए छात्रों को आगामी जीवन, विशेष रूप से छात्रावासों में जीवन का सामंजस्य बैठाने के लिए उन्हें तैयार करने की दृष्टि से उन्हें परामर्श देने हेतु, दाखिले के समय व्यावसायी परामर्शदाताओं को नियोजित करें या उनकी सहायता ले।

6.2.2 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, ऊपर उल्लिखित पर्चे के जरिए नए प्रवेशकों को उनके प्रवेश तथा अभिमुखीकरण की व्यवस्थाएं स्पष्ट करेगा जिससे छात्रों के रूप में उन्हें पूरी तरह संघटित करने के दक्ष और प्रभावी तरीकों को बढ़ावा मिलेगा।

6.2.3 ऊपर उल्लिखित पर्चे के जरिए नए छात्रों को संस्थान के सदाशयी छात्र के रूप में उनके अधिकारों के बारे में भी सूचित किया जाएगा और उसमें उन्हें स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जाएंगे कि उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करने से बाज आना चाहिए, चाहे वरिष्ठों द्वारा भी इसका आदेश दिया जाए और कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संस्थान उनकी देखभाल करता है और उनके खिलाफ कोई अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा।

6.2.4 ऊपर उल्लिखित पर्चे में, संस्थान के अकादमिक वातावरण से नए छात्रों को परिचित कराने में सहायता और पूरण करने हेतु संस्थान द्वारा विनिर्धारित कार्यक्रमों और क्रियाकलापों का कैलेंडर होगा।

6.2.5 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, नए छात्रों और वरिष्ठ छात्रों का संयुक्त संवेदनशीलता कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

पहले सप्ताह के पश्चात या दूसरे सप्ताह के पश्चात, जैसा भी मामला हो, वरिष्ठ छात्रों के पहुँचने पर निम्नलिखित तरीके से अगले अभिमुखीकरण कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए – (i) किसी व्यावसायिक परामर्शदाता द्वारा नए और वरिष्ठ छात्रों, दोनों का संयुक्त संवेदनशीलता कार्यक्रम और परामर्श; (ii) प्रधानाचार्य/संस्थान प्रमुख और रेगिंग प्रतिरोधी समिति द्वारा संबोधित किए जाने वाला नए और वरिष्ठ छात्रों का संयुक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रम; (iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में विचार-विमर्श करने हेतु नए और वरिष्ठ छात्रों के लिए एक मंच उपलब्ध कराने हेतु बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक, खेलकूद और अन्य क्रियाकलाप आयोजित करना; (iv) छात्रावास में वार्डन को सभी छात्रों को संबोधित करना चाहिए; वह किसी अस्थायी अवधि के लिए, रेजीडेंट ट्यूटर बनकर वार्डन की सहायता करने हेतु कालेज के संकाय से दो कनिष्ठ सहयोगियों से अनुरोध कर सकता है ।

6.2.6 नए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे या तो पीडितों के रूप में या गवाह के रूप में रेगिंग की घटनाओं की रिपोर्ट दें ।

6.3 अकादमिक वर्ष के अंत में

6.3.1 प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में, डीन/प्रधानाचार्य/निदेशक छात्रों के उन माता-पिता/अभिभावकों को एक पत्र भेजेगा जो पहला वर्ष पूरा कर रहे हैं जिसमें उन्हें रेगिंग से संबंधित कानून और दंड के बारे में उन्हें सूचना दी जाएगी और उनसे अपील की जाएगी कि अपने आश्रितों पर दबाव डालें कि जब वे अगले अकादमिक सत्र के आरंभ में वापस आएँ तो रेगिंग में लिप्त होने से बाज आएँ ।

6.3.2 प्रत्येक अकादमिक वर्ष के अंत में मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय एक 'परामर्श कक्ष' बनाएगा जिसमें अगले अकादमिक वर्ष के लिए परामर्शदाता होंगे । 6 नए छात्रों के लिए 1 परामर्शदाता और निम्न स्तर के 6 परामर्शदाताओं के लिए उच्चतर स्तर का 1 परामर्शदाता की दर से परामर्शदाताओं के इतने स्तर या कतार होंगी जितने संस्थान में बैचों की संख्या हो । नए छात्रों का प्रत्येक बैच दो छोटे समूहों में विभाजित किया जाना चाहिए और ऐसा प्रत्येक समूह स्टाफ के एक सदस्य को सौंपा जाएगा । स्टाफ के ऐसे सदस्य को चाहिए कि वह संस्थान में नए छात्र के सामने आई समस्याओं/कठिनाइयों, यदि कोई हैं, का पता लगाने तथा आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए दैनिक आधार पर समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ अलग-अलग विचार-विमर्श करेगा ।

किसी छात्रावास में दाखिल किए गए नए छात्रों के मामले में समूह के प्रभारी अध्यापक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह छात्रावास के वार्डन के साथ समन्वय करें और छात्रावास के ऐसे कमरों का अचानक दौरा करें जहाँ समूह के सदस्य रखे गए हैं ।

6.4 समितियों की स्थापना और उनके कार्य

6.4.1 रेगिंग प्रतिरोधी समिति : प्रत्येक संस्थान में एक रेगिंग प्रतिरोधी समिति और रेगिंग प्रतिरोधी दस्ता होगा । रेगिंग प्रतिरोधी समिति की अध्यक्षता संस्थान प्रमुख करेगा और इस समिति में सिविल और पुलिस प्रशासन, स्थानीय मीडिया, युवा क्रियाकलापों में लगे सरकारी संगठनों, संकाय सदस्यों, माता-पिता, नए छात्रों की श्रेणी से संबंधित छात्रों और वरिष्ठ छात्रों तथा गैर-अध्यापन स्टाफ के प्रतिनिधि होंगे । यह समिति, संस्थान में रेगिंग प्रतिरोधी क्रियाकलापों को

मॉनीटर करेगी, दस्ते की सिफारिशों पर विचार करेगी और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को उचित दंड सूचित करने सहित समुचित निर्णय लेगी ।

- 6.4.2 रेगिंग प्रतिरोधी दस्ता : इतने प्रतिनिधित्व जितना आवश्यक माना जाए के साथ रेगिंग प्रतिरोधी दस्ते का नामांकन संस्थान प्रमुख द्वारा किया जाएगा और इसमें केवल परिसर समुदाय के विभिन्न वर्गों से संबंधित सदस्य होंगे । दस्ते के कार्य, जागृत करना, निरीक्षण करना, गश्त लगाना होंगे । इसे हर समय सचल, सतर्क और सक्रिय रखा जाएगा और इसे रेगिंग के संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने, छात्रावासों और अन्य रेगिंग संभावित स्थानों पर अचानक छापे मारने की शक्ति प्रदान की जाएगी । दस्ता, रेगिंग की घटनाओं की जांच करेगा और रेगिंग प्रतिरोधी समिति को सिफारिश करेगा तथा उक्त समिति के समय मार्गदर्शन में काम करेगा । अध्यापन संस्थानों के अनुशासन के सभी मामले परिसर के अंदर ही सुलझाए जाने चाहिए, सिवाय उन मामलों के जिनमें कानून और व्यवस्था का उल्लंघन किया गया है या शांति भंग या सार्वजनिक शांति भंग की गई है । ऐसे मामलों पर देश के दांडिक कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए ।

विश्वविद्यालय मानीटरिंग सैल — विश्वविद्यालय के स्तर पर हम सिफारिश करते हैं कि रेगिंग पर एक मानीटरिंग सैल होना चाहिए जिसे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले संबद्ध कालेजों और संस्थानों के साथ समन्वय करना चाहिए । इस सैल को संस्थान के स्तर पर रेगिंग प्रतिरोधी समिति, रेगिंग प्रतिरोधी दस्तों, मानीटरिंग सैलों के क्रियाकलापों, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, परामर्श सत्र आयोजित करने पर निर्देश के अनुपालन, रेगिंग की घटनाओं, वार्डन और अन्य पदाधिकारियों द्वारा सामना की गई समस्याओं के संबंध में संस्थान प्रमुखों से रिपोर्ट मांगनी चाहिए । इसे जिला स्तरीय रेगिंग प्रतिरोधी निर्णयों की जानकारी रखनी चाहिए । इस मानीटरिंग सैल को रेगिंग प्रतिरोधी उपायों का प्रचार करने, रेगिंग क्रियाकलापों से बाज आने और उल्लंघन के लिए दण्ड दिए जाने पर सहमति व्यक्त करने हेतु प्रतिवर्ष छात्रों और उनके माता-पिता से वचनपत्र लेने पर संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों की समीक्षा करनी चाहिए और संस्थान के स्तर पर रेगिंग प्रतिरोधी उपाय कार्यान्वित करने को सुलभ बनाने हेतु संविधियों या अध्यादेशों या उप-विधियों में संशोधन करने के लिए विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों की ओर से कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए मुख्य प्रवर्तक के रूप में कार्य करना चाहिए ।

6.5 अन्य उपाय

- 6.5.1 इन विनियमों के 6.1.4, 6.1.5 और 6.1.7 में उल्लिखित अनुबंध, प्रत्येक छात्र अर्थात् नए और वरिष्ठ, द्वारा प्रत्येक अकादमिक वर्ष के आरंभ में प्रस्तुत किए जाएंगे ।
- 6.5.2 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय नए अकादमिक वर्ष के पहले तीन महीने के दौरान व्यावसायिक परामर्शदाता द्वारा छात्रों (नए और वरिष्ठ छात्रों के लिए संयुक्त रूप से) के लिए नियमित और आवधिक मनोवैज्ञानिक परामर्श और अभिमुखीकरण सत्र आयोजित करेगा । यह सत्र, संस्थान और विभाग/पाठ्यक्रम स्तरों पर आयोजित किया जाएगा । माता-पिता और अध्यापकों को भी इन सत्रों में शामिल किया जाएगा ।
- 6.5.3 पद के लिए विनिर्धारित पात्रता संबंधी मानदंड, जिनमें कक्षा की स्थितियों से बाहर युवाओं के सम्प्रेषण करने और परामर्श के अपेक्षाकृत मृदु कौशल तथा अनुशासन बनाए रखने के आदेश और नियंत्रण संबंधी पहलुओं को दर्शाया गया है, के अनुसार वार्डनों की नियुक्ति की जाएगी । वार्डन

हर समय उपलब्ध होंगे और उन्हें मोबाइल फोन उपलब्ध कराए जाएंगे तथा टेलीफोन नंबरों के ब्यौरों का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों-संस्थान प्रमुखों, संकाय सदस्यों, रेगिंग प्रतिरोधी समितियों के सदस्यों, जिला और सब-डिविजनल पदाधिकारियों और राज्य के प्राधिकारियों, जहां सुसंगत हों, के टेलीफोन नंबरों का व्यापक प्रसार जरूरतमंदों के लिए किया जाना चाहिए ताकि वे आपातकाल में संपर्क कर सकें या सहायता प्राप्त कर सकें। संस्थान, रेगिंग के खतरे को नियंत्रित करने के काम में लगे वार्डनों और प्राधिकारियों की शक्तियों और पूर्वापेक्षाओं की समीक्षा करेगा और उनमें उचित ढंग से वृद्धि करेगा।

इसके अलावा वार्डन के पूर्णकालिक पद के लिए संस्थान आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

- 6.5.4 जहां कहीं संभव हो नए छात्रों को एक अलग छात्रावास ब्लॉक में रखा जाएगा और जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, कालेज/संस्थान ये सुनिश्चित करेगा कि नए छात्रों के आवास में वरिष्ठ छात्रों के प्रवेश पर वार्डन/सुरक्षा गार्डों और कालेज के स्टाफ द्वारा सख्ती से निगरानी रखी जाए।

चूंकि रेगिंग कालेज में कक्षाओं के समाप्त होने के पश्चात् अधिकांशतः छात्रावासों में होती है, इसलिए छात्रावास के परिसर में रेगिंग के विरुद्ध 24 घंटे सतर्कता उपलब्ध कराई जाएगी। ये देखा गया है कि कालेज की कैंटीनें और छात्रावास के भोजनालय ऐसे स्थान हैं जहां अक्सर रेगिंग होती है। कैंटीनों/भोजनालयों के नियोजकों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे कि वे सख्ती से निगरानी रखें और यदि रेगिंग की कोई घटना हो तो इसकी सूचना कॉलेज प्राधिकारियों को दें।

छात्रावासों में तैनात किए सुरक्षा कर्मचारी, वार्डनों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होंगे और वार्डनों द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा।

- 6.5.5 वाणिज्यिक रूप से संचालित निजी भोजनालयों और छात्रावासों का पंजीकरण स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों के पास किया जाएगा और यह कार्य, संस्थान प्रमुख की सिफारिश पर आवश्यक रूप से किया जाएगा। स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन और सांस्थानिक प्राधिकारी, रेगिंग की परिभाषा के अंदर आने वाली घटनाओं पर निगरानी सुनिश्चित करेंगे और उन परिसरों में रेगिंग की घटनाओं में कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल उसी प्रकार जिम्मेदार होंगे जैसे कि परिसर के अंदर होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे निजी छात्रावासों के प्रबंधन, उनके परिसरों में रेगिंग के मामलों की रिपोर्ट न देने के लिए इसी प्रकार जिम्मेदार होंगे जैसे कि परिसर के अंदर होने वाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं।

- 6.5.6 ऊपर उल्लिखित अनुसार प्राइवेट छात्रावासों का पंजीकरण करने के अलावा नगर या शहर, जहां शिक्षण संस्थान स्थित है, को संकाय सदस्यों के बीच सेक्टरों के रूप में बांट दिया जाना चाहिए जैसा कि अन्य संस्थानों द्वारा किया जा रहा है, ताकि वे निगरानी रख सकें और परिसरों के बाहर तथा नए छात्रों द्वारा यात्रा करते समय मार्ग में होने वाली रेगिंग की किसी घटना की रिपोर्ट कर सकें।

- 6.5.7 रेगिंग प्रतिरोधी दस्ते की सिफारिशें प्राप्त होने पर, संस्थान प्रमुख तुरंत कार्रवाई करेगा। यदि परिस्थितियों के हिसाब से आवश्यक हो तो वह अपनी ओर से भी कार्रवाई करेगा/करेगी।

- 6.5.8 जो नए छात्र या तो पीड़ितों के रूप में या साक्षियों के रूप में रेगिंग की घटनाओं की सूचना नहीं देते हैं, उन्हें भी उचित ढंग से दंड दिया जा सकेगा ।
- 6.5.9 यह सत्यापित करने और अन्योन्य जांच करने के लिए कि क्या कैम्पस वास्तव में रेगिंग से मुक्त है या नहीं, अकादमिक वर्ष के पहले तीन महीने के दौरान प्रत्येक 15 दिन में एक बार छात्रों (नए छात्रों) के पहले वर्ष के पूरे बैच के गुमनाम या दृच्छिक सर्वेक्षण किए जाएंगे । संस्थान इस प्रकार के सर्वेक्षण करने की अपनी पद्धति डिजाइन कर सकता है ।
- 6.5.10 साबित करने की जिम्मेदारी, रेगिंग के अपराधकर्ता पर होगी और पीड़ित पर नहीं ।
- 6.5.11 जब कभी भी रेगिंग का कोई मामला रिपोर्ट किया जाता है, तो संस्थान पुलिस/स्थानीय प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएगा, परंतु पुलिस/स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से की जाने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना अपनी स्वयं की जांच करना और अन्य उपाय करना जारी रखेगा । उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की जाएगी और घटना के एक सप्ताह के अंदर पूरी कर ली जाएगी ।
- 6.5.12 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को जारी किए गए अंतरण/स्थानांतरण प्रमाणपत्र पर, सामान्य आचरण और व्यवहार से संबंधित प्रविष्टि के अलावा यह प्रविष्टि भी होगी कि क्या छात्र को रेगिंग करने या रेगिंग के लिए उकसाने के अपराध में दंड दिया गया है या नहीं और यह प्रविष्टि भी की जाएगी कि क्या छात्र ने अन्य छात्रों को हानि पहुंचाने के लिए निरंतर हिंसक या आक्रामक व्यवहार या किसी प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया है ।
- 6.5.13 रेगिंग की रोकथाम करना या उसके विरुद्ध काम करना, संकाय सदस्यों सहित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के सभी वर्गों और स्तरों के प्राधिकारियों या पदाधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी और केवल रेगिंग की रोकथाम के लिए गठित की गई विशिष्ट निकाय/समिति की नहीं ।
- 6.5.14 चूँकि कालेज की कैंटीन और छात्रावास के भोजनालय ऐसे स्थान हैं जहां अक्सर रेगिंग होती है, इसलिए कैंटीनों/भोजनालयों के नियोजकों/कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे कि वे सख्ती से निगरानी रखें और यदि रेगिंग की कोई घटना हो तो इसकी सूचना कॉलेज प्राधिकारियों को दें ।

इसके अलावा कक्षाओं, संगोष्ठी हॉलों, पुस्तकालय आदि जहां मोबाइल फोनों का इस्तेमाल प्रतिबंधित करने के लिए जेमर संस्थापित किए जाएंगे को छोड़कर छात्रावासों और कैम्पस में मोबाइल फोन और पब्लिक फोन की पहुंच पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

6.6 नए छात्रों और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्वस्थ विचार-विमर्श प्रोत्साहित करने के उपाय

- 6.6.1 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, पाठ्यक्रम प्रभारी, छात्र सलाहकार, वार्डन नए और वरिष्ठ छात्रों के बीच स्वस्थ विचार-विमर्श को सक्रिय रूप से मानीटर करने, प्रोत्साहित करने तथा विनियमित करने के लिए कुछ वरिष्ठ छात्रों सहित उपयुक्त समितियाँ गठित करेगा ।
- 6.6.2 एक दूसरे के साथ उचित परिचय करने के लिए और जहां संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नए छात्रों की प्रतिभा को उचित ढंग से बाहर लाया जाता है, इस प्रकार उन्हें अपनी हीन भावना, यदि कोई है, दूर करने और उनकी अंतर्बाधा दूर करने में सहायता करने के लिए, दाखिलों के तुरंत बाद, वरिष्ठ अकादमिक सत्र आरंभ होने के पहले दो सप्ताह के अंदर वरिष्ठ छात्रों और संकाय सदस्यों द्वारा मिलकर प्रत्येक विभाग में नए छात्रों की स्वागत पार्टियाँ आयोजित की जाएंगी ।

2824 G P 03-3

- 6.6.3 मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, मूल्यांकन की वास्तविक प्रक्रिया और संकाय सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित मामलों को छोड़कर संस्थान के सभी मामलों में छात्रों को शामिल करके छात्र-संकाय सदस्य विचार-विमर्श में वृद्धि करेगा ताकि छात्र यह महसूस कर सकें कि वे संस्थान के मामलों का प्रबंधन करने में जिम्मेदार साझीदार हैं और इसके परिणामस्वरूप अच्छे कार्य/कार्य-निष्पादन के लिए संस्थान को दी जाने वाली ख्याति, उनके कारण भी है ।

7. विनियामक उपाय

भा.आ.प. की निरीक्षण/दौरा समितियां इस बात का प्रति सत्यापन करेंगी कि मेडिकल कालेज/संस्थान ने रेगिंग प्रतिरोधी उपायों का सख्ती से पालन किया है और आसन्न अवधि (अर्थात् पिछले निरीक्षण से) के दौरान या अन्यथा, रेगिंग की घटना न होने के हिसाब से उसका कलंकहीन रिकार्ड है ।

8. दिए जा सकने वाले दंड

8.1 मेडिकल कालेज/संस्थान के स्तर पर :

संस्थान की रेगिंग प्रतिरोधी समिति द्वारा यथा प्रमाणित, अपराध के स्वरूप और गंभीरता पर निर्भर करते हुए, संस्थान के स्तर पर रेगिंग के दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कोई एक दंड या उनका सम्मिश्रण होगा:

- 8.1.1 कक्षाओं में भाग लेने और अकादमिक विशेषाधिकारी से निलंबन ।
- 8.1.2 छात्रवृत्ति/फेलोशिप और अन्य लाभ रोक लेना या वापस लेना ।
- 8.1.3 किसी टेस्ट/परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लेने से विवर्जित करना ।
- 8.1.4 परिणाम रोक लेना ।
- 8.1.5 किसी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, टूर्नामेंट, युवा उत्सव आदि में संस्थान का प्रतिनिधित्व करने से विवर्जित करना ।
- 8.1.6 छात्रावास से निलंबन/निष्कासन ।
- 8.1.7 दाखिले का निरस्तीकरण ।
- 8.1.8 एक से लेकर चार सेमेस्टर्स तक की अवधि के लिए संस्थान से अस्थायी निष्कासन ।
- 8.1.9 संस्थान से निष्कासन और इसके परिणामस्वरूप किसी विशिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य संस्थान में दाखिले से विवर्जित करना ।
- 8.1.10 25000/- रूपए और 1 लाख रूपए का जुर्माना ।
- 8.1.11 सामूहिक दंड : जब रेगिंग का अपराध करने या उसके लिए उकसाने वाले व्यक्तियों की पहचान न की जा सके तो संस्थान सामूहिक दंड का सहारा ले सकता है ।

8.2 रेगिंग की रोकथाम करने और रेगिंग करने वालों को दंड देने में समय से कार्रवाई न करने वाले संस्थान प्रमुखों/संस्थान के प्रशासन के लिए दंडिक परिणाम :

संस्थान के प्राधिकारी, विशेष रूप से संस्थान प्रमुख यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि संस्थान में रेगिंग की कोई घटना न घटे । यदि रेगिंग की कोई घटना घटती है, तो संस्थान प्रमुख उस/उन व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ तुरंत और समुचित कार्रवाई करेगा, जिसकी ड्यूटी की अवहेलना के कारण यह घटना घटी । संस्थान प्रमुख को नियुक्त करने वाला नामजद प्राधिकारी, इसके बदले, संस्थान प्रमुख के विरुद्ध तुरंत और समुचित कार्रवाई करेगा ।

दंडिक परिणामों के अलावा उन संस्थान प्रमुखों/प्रशासन के सदस्यों/संकाय सदस्यों/गैर-अध्यापन स्टाफ के विरुद्ध विभागीय जांच आरंभ की जानी चाहिए जो रेगिंग की शिकायत के प्रति उदासीन या असंवेदनशील दृष्टिकोण दर्शाते हैं ।

8.3 भा.आ.प. के स्तर पर

8.3.1 रेगिंग की प्रत्येक घटना के लिए, गलती करने वाले मेडिकल कॉलेज/संस्थान द्वारा समुचित सरकार द्वारा उस प्राधिकारी, जिसे समुचित सरकार नामजद करे, जैसा भी मामला हो, को भुगतान योग्य एक लाख रूपए का निवारक जुर्माना लगाना ।

8.3.2 गलती करने वाले मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को न्यूनतम अकादमिक मानक न रखने वाला घोषित करना और सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से और भा. आ. प. की वेबसाइट पर देकर ऐसे संस्थान को दाखिले के लिए संभावित अभ्यर्थियों को सचेत करना ।

8.3.3 गलती करने वाले मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि और गलती के अनुरूप परिषद् द्वारा बढ़ाई जाने वाली अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 10 क के अंतर्गत कोई आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के लिए अपात्र घोषित करना ।

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए. आर. एन. सीतलवाड, सचिव

[सं. विज्ञापन III/4/100/09/असा.]

अनुबंध I, भाग I

अभ्यर्थी/छात्र द्वारा दिया जाने वाला वचनपत्र

1. मैं, सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/सुश्री ने रेगिंग का निषेध करने वाले कानून को और इस संबंध में उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकार के निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है ।
2. मैंने, उच्चतर शैक्षिक संस्थानों, में रेगिंग के खतरे को नियंत्रित करने पर भा.आ.प. विनियमावली, 2009 की एक प्रति प्राप्त कर ली है ।
3. मैं एतद्वारा वचन देता/देती हूँ कि ———
 - मैं किसी ऐसे व्यवहार या कार्य में लिप्त नहीं हूंगा/हूंगी जो रेगिंग की परिभाषा के अंतर्गत आता है.

- मैं, किसी भी रूप में रेगिंग में भाग नहीं लूंगा/लूंगी या उसके लिए नहीं उकसाऊंगा/उकसाऊंगी या उसका प्रचार नहीं करूंगा/करूंगी ।
 - मैं, किसी को भी शारीरिक या मनोवैज्ञानिक क्षति नहीं पहुंचाऊंगा/पहुंचाऊंगी या कोई अन्य नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा/पहुंचाऊंगी ।
4. मैं, एतद्द्वारा सहमति व्यक्त करता/करती हूँ कि यदि मैं रेगिंग के किसी पहलू का दोषी पाया जाता/जाती हूँ तो ऊपर उल्लिखित भा.आ.प. के उपबंधों के अनुसार और/या प्रवृत्त कानून के अनुसार मुझे दंड दिया जा सकता है ।

आज वर्ष के मास की तारीख को हस्ताक्षर किए गए ।

हस्ताक्षर :

पता :

नाम :

(1) गवाह

(2) गवाह

अनुबंध I, भाग II

माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिया जाने वाला घोषणापत्र

1. मैं, पिता/माता/अभिभावक ने रेगिंग का निषेध करने वाले कानून को और इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय और केंद्रीय/राज्य सरकार तथा उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रेगिंग के खतरे को नियंत्रित करने पर भा.आ.प. विनियम, 2009 को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और पूरी तरह समझ लिया है ।
2. मैं आश्वासन देता हूँ कि मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री/आश्रित रेगिंग के किसी कार्य में लिप्त नहीं होगा/होगी ।
3. मैं, एतद्द्वारा सहमति व्यक्त करता हूँ कि यदि वह रेगिंग के किसी पहलू का दोषी पाया जाता/जाती है तो उसे ऊपर उल्लिखित भा.आ.प. के उपबंधों के अनुसार और/या प्रवृत्त कानून के अनुसार दंड दिया जा सकता है ।

आज वर्ष के मास की तारीख को हस्ताक्षर किए गए ।

हस्ताक्षर

पता :

नाम :

(1) गवाह

(2) गवाह

MEDICAL COUNCIL OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd August, 2009

No. MCI-34(1)/2009-Med./25453.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely:—

1. Short title, commencement and applicability

- (i) These Regulations may be called the Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) Regulations, 2009.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective:-

To root out ragging in all its forms from medical colleges/institutions in the country by prohibiting it by law, preventing its occurrence by following the provisions of these Regulations and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. Definitions:- For the purposes of these Regulations:-

- 3.1 "Medical College" means an institution, whether known as such or by any other name, which provides for a programme, beyond 12 years of schooling, for obtaining recognized MBBS qualification from a university and which, in accordance with the rules and regulations of such university, is recognized as competent to provide for such programmes of study and present students undergoing such programmes of study for the examination for the award of recognized MBBS/PG Degree/Diploma qualifications.
- 3.2 "Head of the institution" means the Dean/Principal/Director of the concerned medical college/institution.
- 3.3 "Ragging" includes the following:

Any conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of harassing, teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student.

2024 48109-4

- 3.4 MCI means MCI constituted in terms of Section 3 of Indian Medical Council Act, 1956.
- 3.5 "University" means a university established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, an institution deemed to be university under Section 3 of the UGC Act, 1956, or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees.

4. Punishable ingredients of Ragging:-

- Abetment to ragging;
- Criminal conspiracy to rag;
- Unlawful assembly and rioting while ragging;
- Public nuisance created during ragging;
- Violation of decency and morals through ragging;
- Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- Wrongful restraint;
- Wrongful confinement;
- Use of criminal force;
- Assault as well as sexual offences or even unnatural offences;
- Extortion;
- Criminal trespass;
- Offences against property;
- Criminal intimidation;
- Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- Physical or psychological humiliation.
- All other offences following from the definition of "Ragging".

5. Measures for prohibition of ragging:-

- 5.1 The Medical College/Institution / University shall strictly observe the provisions of the Act of the Central Government and the State Governments, if any, or if enacted and / or for the time being in force, considering ragging as a cognizable offence under the law at par with rape and other atrocities against women and ill-treatment of persons belonging to the SC/ST and prohibiting ragging in all its forms in all institutions.
- 5.2 Ragging in all its forms shall be totally banned in the entire Medical College/Institution / University including its departments, constituent units, all its premises (academic, residential, sports, canteen, etc) whether located within the campus or outside and in all means of transportation of students whether public or private.
- 5.3 The Medical College/Institution / University shall take strict action against those found guilty of ragging and/or of abetting ragging.

6. Measures for prevention of ragging at the institution level:-**6.1 Before admissions:-**

- 6.1.1 The advertisement for admissions shall clearly mention that ragging is totally banned / prohibited in the Medical College/Institution and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging is liable to be punished appropriately.
- 6.1.2 The brochure of admission/instruction booklet for candidates shall print in block letters these Regulations in full (including Annexures).
- 6.1.3 The 'Prospectus' and other admission related documents shall incorporate all directions of the Hon'ble Supreme Court and /or the Central or State Governments as applicable, so that the candidates and their parents/guardians are sensitized in respect of the prohibition and consequences of ragging.
- 6.1.4 A Brochure or booklet/leaflet shall be distributed to each student at the beginning of each academic session for obtaining undertaking not to indulge or abet ragging and shall contain the blueprint of prevention and methods of redress.

The application form for admission/ enrolment shall have a printed undertaking, preferably both in English/Hindi and in one of the regional languages known to the institution and the applicant (English version given in Annexure I, Part I), to be filled up and signed by the candidate to the effect that he/she is aware of the law regarding prohibition of ragging as well as the punishments, and to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred from admission by any institution and that he/she, if found guilty of the offence of ragging and/or abetting ragging, is liable to be punished appropriately.

- 6.1.5 The application form shall also contain a printed undertaking, preferably both in English/Hindi and in one of the regional languages known to the institution and the parent/ guardian (English version given in Annexure I, Part II), to be signed by the parent/ guardian of the applicant to the effect that he/ she is also aware of the law in this regard and agrees to abide by the punishment meted out to his/ her ward in case the latter is found guilty of ragging and/or abetting ragging.

A database shall be created out of affidavits affirmed by each student and his/her parents/guardians stored electronically, and shall contain the details of each student. The database shall also function as a record of ragging complaints received.

- 6.1.6 The application for admission shall be accompanied by a document in the form of the School Leaving Certificate/transfer certificate/migration

- certificate/ Character Certificate which shall include a report on the behavioral pattern of the applicant, so that the institution can thereafter keep intense watch upon a student who has a negative entry in this regard.
- 6.1.7 A student seeking admission to the hostel shall have to submit additional undertaking in the form of Annexure I (both Parts) along with his/ her application for hostel accommodation.
- 6.1.8 At the commencement of the academic session the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, like Wardens, representatives of students, parents/ guardians, faculty, district administration including police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the Institution and steps to be taken to identify the offenders and punish them suitably.
- 6.1.9 To make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, big posters (preferably multicolored with different colours for the provisions of law, punishments, etc.) shall be prominently displayed on all Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at vulnerable places. Some of such posters shall be of permanent nature in certain vulnerable places.
- 6.1.10 Apart from placing posters mentioned in sub-clause 6.1.9 above at strategic places, the Medical College/Institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, by holding counseling sessions, workshops, painting and design competitions among students and other methods as it deems fit.
- 6.1.11 The Medical College/Institution/University shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.
- 6.1.12 The Medical College/Institution/University shall identify, properly illuminate and man all vulnerable locations.
- 6.1.13 The Medical College/Institution/University shall tighten security in its premises, especially at the vulnerable places. If necessary, intense policing shall be resorted to at such points at odd hours during the early months of the academic session.
- 6.1.14 The Medical College/Institution/University shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch wide publicity campaign against ragging through posters, leaflets, seminars, street plays, etc.

6.1.15 The faculties/ departments/ units of the Medical College/Institution /University shall have induction arrangements (including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students) in place well in advance of the beginning of the academic year with a clear sense of the main aims and objectives of the induction process.

The Principal or Head of the Institution/Department shall obtain an undertaking from every employee of the institution including teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns etc. that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice. A provision shall be made in the service rules for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report ragging which will form part of their service record.

6.2. On admission:-

6.2.1 Every fresher admitted to the Medical College/Institution/University shall be given a printed leaflet detailing when and to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes (including Wardens, Head of the institution, members of the anti-ragging committees, relevant district and police authorities), addresses and telephone numbers of such persons/authorities, etc., so that the fresher need not look up to the seniors for help in such matters and get indebted to them and start doing things, right or wrong, at their behest. Such a step will reduce the freshers' dependence on their seniors.

Every institution should engage or seek the assistance of professional counselors at the time of admissions to counsel 'freshers' in order to prepare them for the life ahead, particularly for adjusting to the life in hostels.

6.2.2 The Medical College/Institution/University through the leaflet mentioned above shall explain to the new entrants the arrangements for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students.

6.2.3 The leaflet mentioned above shall also inform the freshers about their rights as bonafide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything against their will even if ordered by the seniors, and that they have nothing to fear as the institution cares for them and shall not tolerate any atrocities against them.

2824 G.P.O.-5

- 6.2.4 The leaflet mentioned above shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.
- 6.2.5 The Medical College/Institution/University shall also organize joint sensitization programmes of 'freshers' and seniors.

On the arrival of senior students after the first week or after the second week as the case may be, further orientation programmes must be scheduled as follows (i) joint sensitization programme and counseling of both 'freshers' and senior by a Professional counselor; (ii) joint orientation programme of 'freshers' and seniors to be addressed by the principal/Head of the institution, and the anti -ragging committee ; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the 'freshers' and seniors to interact in the presence of faculty members ; (iv) in the hostel, the warden should address all students; may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration.

- 6.2.6 Freshers shall be encouraged to report incidents of ragging, either as victims, or even as witnesses.

6.3. At the end of the academic year:-

- 6.3.1 At the end of every academic year the Dean/Principal/Director shall send a letter to the parents/guardians of the students who are completing the first year informing them about the law regarding ragging and the punishments, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging when they come back at the beginning of the next academic session.

- 6.3.2 At the end of every academic year the Medical College/Institution /University shall form a 'Mentoring Cell' consisting of Mentors for the succeeding academic year. There shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of 1 Mentor for 6 freshers and 1 Mentor of a higher level for 6 Mentors of the lower level.

Each batch of freshers should be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the staff. Such staff member should interact individually with, each member of the group on a daily basis for ascertaining the problems/difficulties if any faced by the fresher in the institution and extending necessary help.

In the case of freshers admitted to a hostel it shall be the responsibility of the teacher in charge of the group to coordinate with the warden of the

hostel and to make surprise visits to the rooms in the hostel where the members of the group are lodged.

6.4. Setting up of Committees and their functions:-

6.4.1 The Anti-Ragging Committee:- Every institution shall have an Anti-Ragging Committee and an Anti -Ragging Squad. The Anti-Ragging Committee shall be headed by the Head of the institution and shall consist of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, faculty members, parents, students belonging to the freshers' category as well as seniors and non-teaching staff. It shall monitor the Anti Ragging activities in the institution, consider the recommendations of the Anti-Ragging Squad and take appropriate decisions, including spelling out suitable punishments to those found guilty.

6.4.2 The Anti-Ragging Squad:- The Anti-Ragging Squad shall be nominated by the Head of the institution with such representation as considered necessary and shall exclusively consist of members belonging to the various sections of the campus community. The Squad shall have vigil, oversight and patrolling functions. It shall be kept mobile, alert and active at all times and shall be empowered to inspect places of potential ragging and make surprise raids on hostels and other hot spots. The Squad shall investigate incidents of ragging and make recommendations to the Anti-Ragging Committee and shall work under the overall guidance of the Anti-Ragging Committee.

All matters of discipline within teaching institutions must be resolved within the campus except those impinging on law and order or breach of peace or public tranquility, all of which should be dealt with under the penal laws of the land

University Monitoring Cell At the level of the University, we recommend that there should be a Monitoring Cell on Ragging, which should coordinate with the affiliated colleges and institutions under its domain. The Cell should call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committee, Anti - Ragging Squads, Monitoring Cells at the level of the institution, the compliance with instructions on conducting orientation programmes, counseling sessions, the incidents of ragging, the problems faced by wardens or other officials. It should also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti - Ragging Committee. This Monitoring Cell should also review the efforts made by institutions to publicize anti - ragging measures, soliciting of undertaking from parents and students each year to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and should function as the prime mover for initiating action on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye -laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

6.5. Other measures:-

- 6.5.1 The Annexures mentioned in 6.1.4, 6.1.5 and 6.1.7 of these Regulations shall be furnished at the beginning of each academic year by every student, that is, by freshers as well as seniors.
- 6.5.2 The Medical College/Institution /University shall arrange for regular and periodic psychological counseling and orientation for students (for freshers separately, as well as jointly with seniors) by professional counselors during the first three months of the new academic year. This shall be done at the institution and department/ course levels. Parents and teachers shall also be involved in such sessions.
- 6.5.3 Full-time warden shall be appointed as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline, as well as the softer skills of counseling and communicating with the youth outside the class-room situations. Wardens shall be accessible at all hours and shall be provided with mobile phones and the details of their telephone number must be widely publicized. Similarly, the telephone numbers of the other important functionaries - Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees, district and sub-divisional authorities and state authorities where relevant, should also be widely disseminated for the needy to get in touch or seek help in emergencies. The institution shall review and suitably enhance the powers and perquisites of Wardens and authorities involved in curbing the menace of ragging.

Further the institutions shall provide necessary incentives for the post of full-time warden, so as to attract suitable candidates.

- 6.5.4 Freshers shall be lodged in a separate hostel block, wherever possible, and where such facilities are not available, the college/institution shall ensure that seniors' access to freshers' accommodation is strictly monitored by wardens, security guards and college staff.

As ragging takes place mostly in the hostels after the classes are over in the college, a round the clock vigil against ragging in the hostel premises shall be provided. It is seen, that college canteens and hostel messes are also places where ragging often takes place. The employers/employees of the canteens/mess shall be given necessary instructions to keep strict vigil and to report the incidents of ragging to the college authorities if any.

The security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Wardens and assessed by them.

- 6.5.5 Private commercially managed lodges and hostels shall be registered with the local police authorities, and this shall be done necessarily on the

- recommendation of the Head of the institution. Local police, local administration and the institutional authorities shall ensure vigil on incidents that may come within the definition of ragging and shall be responsible for action in the event of ragging in such premises, just as they would be for incidents within the campus. Managements of such private hostels shall be responsible for action in the event of ragging in such premises, just as they would be for incidents within campuses.
- 6.5.6 Besides registering private hostels as stated above, the towns or cities where educational institutions are located should be apportioned as sectors among faculty members, as is being done by some institutions, so that they could maintain vigil and report any incidents of ragging outside campuses and en route while 'freshers' commute.
- 6.5.7 The Head of the institution shall take immediate action on receipt of the recommendations of the Ant-Ragging Squad. He/ She shall also take action suo motu if the circumstances so warrant.
- 6.5.8 Freshers who do not report the incidents of ragging either as victims or as witnesses shall also be punished suitably.
- 6.5.9 Anonymous random surveys shall be conducted across the 1st year batch of students (freshers) every fortnight during the first three months of the academic year to verify and cross-check whether the campus is indeed free of ragging or not. The institution may design its own methodology of conducting such surveys.
- 6.5.10 The burden of proof shall lie on the perpetrator of ragging and not on the victim.
- 6.5.11 The institution shall file an FIR with the police / local authorities whenever a case of ragging is reported, but continue with its own enquiry and other measures without waiting for action on the part of the police/ local authorities. Remedial action shall be initiated and completed within the one week of the incident itself.
- 6.5.12 The Migration/Transfer Certificate issued to the student by the Medical College/Institution /University shall have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, whether the student has been punished for the offence of committing or abetting ragging, or not, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others.
- 6.5.13 Preventing or acting against ragging shall be the collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries in the Medical College/Institution /University, including faculty, and not merely that of the specific body/ committee constituted for prevention of ragging.

- 6.5.14 As such the college canteens and hostel messes are also places where ragging often takes place, hence the employers/employees of the canteens/mess shall be given necessary instructions to keep strict vigil and to report the incidents of ragging to the college authorities, if any.

Further access to mobile phones and public phones shall be unrestricted in hostels and campuses, except in class-rooms, seminar halls, library etc. where jammers shall be installed to restrict the use of mobile phones.

6.6 Measures for encouraging healthy interaction between freshers and seniors:-

- 6.6.1 The Medical College/Institution /University shall set up appropriate committees including the course-in-charge, student advisor, Warden and some senior students to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers and senior students.
- 6.6.2 Freshers' welcome parties shall be organized in each department by the senior students and the faculty together soon after admissions, preferably within the first two weeks of the beginning of the academic session, for proper introduction to one another and where the talents of the freshers are brought out properly in the presence of the faculty, thus helping them to shed their inferiority complex, if any, and remove their inhibitions.
- 6.6.3 The Medical College/Institution /University shall enhance the student-faculty interaction by involving the students in all matters of the institution, except those relating to the actual processes of evaluation and of faculty appointments, so that the students shall feel that they are responsible partners in managing the affairs of the institution and consequently the credit due to the institution for good work/ performance is due to them as well.

7. Regulatory Measures

The inspecting/visiting committees of MCI shall cross verify that the medical college/institution has strictly complied with the anti ragging measures and has a blemishless record in terms of there being no incident of ragging during the impending period (i.e. from earlier inspection) or otherwise.

8. Awardable Punishments.

8.1 At the Medical College/Institution level:

Depending upon the nature and gravity of the offence as established by the Anti-Ragging Committee of the institution, the possible punishments for those found guilty of ragging at the institution level shall be any one or any combination of the following:

- 8.1.1 Suspension from attending classes and academic privileges.
- 8.1.2 Withholding/withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits
- 8.1.3 Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation Process.
- 8.1.4. Withholding results
- 8.1.5 Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
- 8.1.6 Suspension/ expulsion from the hostel
- 8.1.7 Cancellation of admission.
- 8.1.8 Rustication from the institution for period ranging from 1 to 4 semesters
- 8.1.9 Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specific period.
- 8.1.10 Fine of Rs. 25,000/- and Rs. 1 lakh.
- 8.1.11 Collective punishment: When the persons committing or abetting the crime of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

8.2 Penal consequences for the heads of the institutions/administration of the institution who do not take timely steps in the prevention of ragging and punishing those who rag.

The authorities of the institution particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Head shall take prompt and appropriate action against the person (s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the Head.

In addition to penal consequences, departmental enquiries be initiated against such heads institutions / members of the administration / faculty members / non-teaching staff, who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging.

8.3 At the MCI level

- 8.3.1 Impose an exemplary fine of Rs. 1 lakh for each incident of ragging payable by erring medical college/institution to such authority as may be designated by the appropriate Govt., as the case may be.
- 8.3.2 Declare the erring Medical College/Institution/University as not having the minimum academic standards and warning the potential candidates for admission at such institution through public notice and posing on the MCI website.

2824 48705-7

- 8.3.3 Declare the erring Medical College/Institution/University to be ineligible for preferring any application u/s 10A of the Indian Medical Council Act, 1956 for a minimum period of one year, extendable by such quantum by the Council as would be commensurate with the wrong.

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[No. ADVT III/4/100/09/Exty.]

ANNEXURE I, Part I

UNDERTAKING BY THE CANDIDATE/STUDENT

1. I, _____
S/o. D/o. of Mr./Mrs./Ms. _____
have carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of the Supreme Court and the Central/State Government in this regard.
2. I have received a copy of the MCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.
3. I hereby undertake that-
 - I will not indulge in any behavior or act that may come under the definition of ragging,
 - I will not participate in or abet or propagate ragging in any form,
 - I will not hurt anyone physically or psychologically or cause any other harm.
4. I hereby agree that if found guilty of any aspect of ragging, I may be punished as per the provisions of the MCI Regulations mentioned above and/or as per the law in force.

Signed this _____ day of _____ month of _____ year

Signature

Address: _____

Name:

(1) Witness:

(2) Witness:

ANNEXURE I, Part II

UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN

1. I, _____
F/o. M/o. G/o _____,
have carefully read and fully understood the law prohibiting ragging and the directions of the Hon'ble Supreme Court and the Central/State Government in this regard as well as the MCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.
2. I assure you that my son/ daughter/ ward will not indulge in any act of ragging.
3. I hereby agree that if he/she is found guilty of any aspect of ragging, he/she may be punished as per the provisions of the MCI Regulations mentioned above and/or as per the law in force.

Signed this _____ day of _____ month of _____ Year

Signature

Address: _____

Name:

(1) Witness:

(2) Witness: